न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 8/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/78

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री जगदीश शर्मा/ नानूराम शर्मा प्रोपराईटर भेरुनाथ कचौरी भण्डार, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, तलवाडा, जिला बॉसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री प्रवीण चन्द्र सुथार अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 03–12–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को भेरुनाथ कचौरी भण्डार, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, तलवाडा, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) की जांच श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान भेरुनाथ कचौरी भण्डार, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, तलवाडा, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री जगदीश शर्मा/ नानूलाल शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर कचौरी बनाना पाया गया एवं 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	एचपी गैस	387324 S	26.000	15.900	10.100
2	एचपी गैस	713766 J	15.470	15.400	0.070
3	एचपी गैस	004520 T	29.760	15.600	14.160

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:09:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री जगदीश शर्मा/ नानूलाल शर्मा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण व उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा जब्त किए जाकर डिण्डोर एचपी गैस तलवाडा के मैनेजर श्री प्रभुदास/ कालीदास को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री प्रवीण चन्द्र सुथार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र व जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी अपने छोटे से नाश्ता सेन्टर पर ठेलागाडी पर दिनांक 19.09.2024 को सुबह करीब 9 बजे के आस पास ग्राहक के लिये चाय बना रहा था तभी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा निरीक्षण के दौरान 3 घरेलु सिलेण्डर जब्त किये थे एवं मौके पर पर्चा निरीक्षण बनाया था। उक्त कार्यवाही के दौरान भार साधक प्रवर्तन अधिकारी को अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा तीनो सिलेण्डरो के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने निवेदन किया था, परन्तु उक्त प्रवर्तन अधिकारी महोदय द्वारा अप्रार्थी को अपना जवाब बाद में प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार से सुनने से साफ साफ इन्कार कर दिया, जिस कारण प्रवर्तन अधिकारी महोदय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा होकर अप्रार्थी को नैसर्गिक न्याय से वंचित की गई कार्यवाही है। अप्रार्थी की ठेलागाडी डिण्डोर एचपी गैस ऑफिस से लगता हुआ होकर एक ही परिसर मौजुद है तथा अप्रार्थी के नाश्ता सेंटर ठेलागाडी पर दौराने निरीक्षण एक भरा हुआ सिलेण्डर जो कि श्री अभिनव गुप्ता, बैंक मैनेजर एस.बी.आई शाखा तलवाडा जिनका उपभोक्ता क्रमांक 115806 होकर दिनांक I18.09.2024 को डिलीवर्ड किया अप्रार्थी के नाश्ता सेंटर में रखवाया गया था, को जब्त किया। उनका शपथ पत्र संलग्न है। एक अन्य खाली गैस सिलेण्डर श्रीमती सुशीला पत्नी हुरजी निवासी लालपुरा तलवाडा का था जो कि सिलेण्डर भरा हुआ नही मिलने से नाश्ता सेंटर

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:49:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

ठेलागाडी पर परिचित होने से रख गई थी, को जब्त किया। उनका उपभोक्ता क्रमांक 108312 होकर प्रति एवं शपथ पत्र संलग्न है।

अप्रार्थी के नाम से घरेलु श्रेणी में जारी सिलेण्डर जो नाश्ता सेन्टर ठेलागाडी पर कार्य कर रहे अधिनस्थ ने गलती से व्यवसायिक सिलेण्डर के स्थान पर श्रीमती मंजु देवी के नाम से जारी घरेलु सिलेण्डर को चुल्हे से लगा दिया था जो कि गलती से लगा दिया गया था तथा अप्रार्थी का गैर व्यवसायिक घरेलु गैस कनेक्शन पूर्व से ले रखा है जिसका उपभोक्ता क्रमांक 115817 है एवं अप्रार्थी नियमित उपभोक्ता है। साथ ही अप्रार्थी के पास पूर्व से व्यवसायिक कनेक्शन भी होकर सिलेण्डर जारी किया हुआ है तथा अप्रार्थी का उपभोक्ता क्रमांक 300105 है। दोनो कनेक्शन की प्रतियां संलग्न है।

अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना स्वीकार कर अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को स्थगित करते हुए उक्त प्रकरण में जब्तशुदा तीनो सिलेण्डरो को अप्रार्थी को सुपूर्द करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त जवाब के साथ ही बहस प्रस्तुत करने निवेदन किया। उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को भेरुनाथ कचौरी भण्डार, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, तलवाडा, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) की जांच श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान भेरुनाथ कचौरी भण्डार, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, तलवाडा, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री जगदीश शर्मा/ नानूलाल शर्मा उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर कचौरी बनाना पाया गया एवं 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री जगदीश शर्मा/ नानूलाल शर्मा द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण व उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा जब्त किए जाकर डिण्डोर एचपी गैस तलवाडा के मैनेजर श्री प्रभुदास/ कालीदास को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अपने छोटे से नाश्ता सेन्टर पर ठेलागाडी पर दिनांक 19.09.2024 को सुबह करीब 9 बजे के आस पास ग्राहक के लिये चाय बना रहा था तभी प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा निरीक्षण के दौरान 3 घरेलु सिलेण्डर जब्त किये थे एवं मौके पर पर्चा निरीक्षण बनाया था। उक्त कार्यवाही के दौरान भार साधक प्रवर्तन अधिकारी को अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्तशुदा तीनो सिलेण्डरो के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने निवेदन किया था, परन्तु उक्त प्रवर्तन अधिकारी महोदय द्वारा अप्रार्थी को अपना जवाब बाद में प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए किसी भी प्रकार से सुनने से साफ साफ इन्कार कर दिया, जिस कारण प्रवर्तन अधिकारी महोदय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही एकतरफा होकर अप्रार्थी को नैसर्गिक न्याय से वंचित की गई कार्यवाही है। अप्रार्थी की ठेलागाडी डिण्डोर एचपी गैस ऑफिस से लगता हुआ होकर एक ही परिसर मौजुद है तथा अप्रार्थी के नाश्ता सेंटर ठेलागाडी पर दौराने निरीक्षण एक भरा हुआ सिलेण्डर जो कि श्री अभिनव गुप्ता, बैंक मैनेजर एस.बी.आई शाखा तलवाडा जिनका उपभोक्ता क्रमांक 115806 होकर दिनांक I18.09.2024 को डिलीवर्ड किया अप्रार्थी के नाश्ता सेंटर में रखवाया गया था, को जब्त किया। उनका शपथ पत्र संलग्न है। एक अन्य खाली गैस सिलेण्डर श्रीमती सुशीला पत्नी हुरजी निवासी लालपुरा तलवाडा का था जो कि सिलेण्डर भरा हुआ नही मिलने से नाश्ता सेंटर ठेलागाडी पर परिचित होने से रख गई थी, को जब्त किया। उनका उपभोक्ता क्रमांक 108312 होकर प्रति एवं शपथ पत्र संलग्न है।

अप्रार्थी के नाम से घरेलु श्रेणी में जारी सिलेण्डर जो नाश्ता सेन्टर ठेलागाडी पर कार्य कर रहे अधिनस्थ ने गलती से व्यवसायिक सिलेण्डर के स्थान पर श्रीमती मंजु देवी के नाम से जारी घरेलु सिलेण्डर को चुल्हे से लगा दिया था जो कि गलती से लगा दिया गया था तथा अप्रार्थी का गैर व्यवसायिक घरेलु गैस कनेक्शन पूर्व से ले रखा है जिसका उपभोक्ता क्रमांक 115817 है एवं अप्रार्थी नियमित उपभोक्ता है। साथ ही अप्रार्थी के पास पूर्व से व्यवसायिक कनेक्शन भी होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:39:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सिलेण्डर जारी किया हुआ है तथा अप्रार्थी का उपभोक्ता क्रमांक 300105 है। दोनो कनेक्शन की प्रतियां संलग्न है। अतः कार्यवाही को स्थगित करते हुए उक्त प्रकरण में जब्तशुदा तीनो सिलेण्डरो को अप्रार्थी को सुपूर्द करने के आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 1 घरेलु गैस सिलेण्डर भेरुनाथ कचौरी भण्डार, सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के सामने, तलवाडा, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए अन्य 2 भण्डारण करते हुए पाये गए है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उसक संलग्न दस्तावेज अनुसार एक भरा हुआ सिलेण्डर जो कि श्री अभिनव गुप्ता, बैंक मैनेजर एस.बी.आई शाखा तलवाडा जिनका उपभोक्ता क्रमांक 115806 होकर दिनांक 18.09.2024 को डिलीवर्ड किया अप्रार्थी के नाश्ता सेंटर में रखवाया गया था, को जब्त किया। श्री अभिनव गुप्ता पुत्र इन्द्रमल गुप्ता ने 50 रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र दिया है तथा स्वीकार किया है कि दिनांक 18.009.2024 को घर पर गैस सिलेण्डर खत्म हो जाने से खाली सिलेण्डर देकर भरा हुआ गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु बुकिंग कराने पर दिनांक 18.09.2024 को डिण्डोर गैस एजेन्सी के पास में ही थेलागाडी लगाने से परिचित भेरुनाथ नाश्ता सेन्टर पर भरा सिलेण्डर बाहर जाने से रखवाया था जो कि दिनांक 19.09.2024 को वक्त निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। एक अन्य सिलेण्डर जो कि खाली गैस सिलेण्डर श्रीमती सुशीला पत्नी हुरजी निवासी लालपुरा तलवाडा का था जो कि सिलेण्डर भरा हुआ नही मिलने से नाश्ता सेंटर ठेलागाडी पर परिचित होने से रख गई थी, को जब्त किया। उनका उपभोक्ता क्रमांक 108312 होकर प्रति संलग्न है। उपभोक्ता श्रीमती सुशीला पत्नी हुरजी निवासी लालपुरा शपथ पत्र संलग्न है जिसमें स्वीकार किया है कि दिनांक 18.009.2024 को घर पर गैस सिलेण्डर खत्म हो जाने से खाली सिलेण्डर देकर भरा हुआ गैस सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु डिण्डोर गैस एजेन्सी के पास में ही थेलागाडी लगाने से परिचित भेरुनाथ नाश्ता सेन्टर पर भरा सिलेण्डर बाहर जाने से रखवाया था जो कि दिनांक 19.09.2024 को वक्त निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। अप्रार्थी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया कि अप्रार्थी के नाम से घरेलु श्रेणी में जारी सिलेण्डर जो नाश्ता सेन्टर ठेलागाडी पर कार्य कर रहे अधिनस्थ ने गलती से व्यवसायिक सिलेण्डर के स्थान पर श्रीमती मंजु देवी के नाम से जारी घरेलु सिलेण्डर को चुल्हे से लगा दिया था जो कि गलती से लगा दिया गया था।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:24 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर क्रम सं. 387324 S का उपयोग किया जाना किया जाना प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर उपयोग में लिया जा रहा एक घरेलु गैस सिलेण्डर क्रम सं. 387324 S को एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। अन्य दो गैस सिलेण्डर क्रम सं 713766 J (खाली), 004520 T (भरा हुआ) को संबंधित उपभोक्ता श्री अभिनव गुप्ता पुत्र इन्द्रमल गुप्ता उपभोक्ता क्रमांक 115806, श्रीमती सुशीला पत्नी हुरजी उपभोक्ता क्रमांक 108312 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, उपभोक्ता डायरी की प्रति के आधार पर संबंधित को सुपूर्द करने जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर क्रम सं. 387324 S को एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टा का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 03–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:39:24 IST
Reason: SelfAttested